

**राजस्थान सरकार**  
**कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर**

क्रमांक:-एफ36(77)आ0कृ0 / NeGP-A/SP / 2015-16 / 2067-72 दिनांक:- 12/2/16

**संशोधित स्वीकृति आदेश**

नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्शटेनशन एण्ड टेक्नोलोजी (NMAET) के सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्शटेनशन (SMAE) के अन्तर्गत मिशन मोड प्रोजेक्ट नेशनल ई-गर्वनेंस प्लान इन एग्रीकल्चर (NeGP-A) अन्तर्गत जिला व पंचायत समिति स्तर पर कम्प्यूटर डाटा सेन्टर की स्थापना का प्रावधान है, जिसमे प्रत्येक जिले एवं पंचायत समिति पर क्रमशः 05 एवं 03 कम्प्यूटर स्थापित किये जाने है। डाटा सेन्टर पर Site preparation हेतु आवश्यक फर्नीचर क्रय, नेटवर्क स्विच एवं बिजली संबंधी कार्य (Cabling, Electric Switches, Electric Sockets) आदि पर प्रत्येक जिले हेतु 75 हजार व प्रत्येक पंचायत समिति हेतु 67 हजार रुपये का अधिकतम व्यय का प्रावधान है।

नेशनल ई-गर्वनेंस प्लान इन एग्रीकल्चर (NeGP-A) अन्तर्गत वर्ष 2015-16 के लिये जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर डाटा सेन्टर की स्थापना हेतु नेटवर्क स्विच एवं बिजली संबंधी कार्य (Cabling, Electric Switches, Electric Sockets) एवं विविध कार्यो को पूर्ण करवाये जाने के लिये पूर्व मे जारी स्वीकृति आदेश क्रमांक 1611-58 दिनांक 16.11.2015 के अधिक्रमण (Supersession) मे कुल स्वीकृत राशि रुपये 249.58 लाख मे से सम्बन्धित उप निदेशक कृषि (विस्तार) स्तर से व्यय करने हेतु राशि रुपये 2820000.00 (अक्षरे रुपये अठाइस लाख बीस हजार मात्र) निम्नानुसार आवंटन करने की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

क्र. सं.	कार्यालय का नाम, जिसे भुगतान/आवंटन किया जाना है	पंचायत समिति संख्या	स्वीकृत राशि (पं.स.) (रुपये)	स्वीकृत राशि (जिला) (रुपये)	कुल स्वीकृत राशि (रुपये)
1	उप निदेशक कृषि (वि.) जि.परि. अजमेर	8	80000.00	10000.00	90000.00
2	उप निदेशक कृषि (वि.) जि.परि. अलवर	14	140000.00	10000.00	150000.00
3	उप निदेशक कृषि (वि.) जि.परि. बासवाडा	8	80000.00	10000.00	90000.00
4	उप निदेशक कृषि (वि.) जि.परि. बांरा	7	70000.00	10000.00	80000.00
5	उप निदेशक कृषि (वि.) जि.परि. बाडमेर	8	80000.00	10000.00	90000.00
6	उप निदेशक कृषि (वि.) जि.परि. भरतपुर	9	90000.00	10000.00	100000.00
7	उप निदेशक कृषि (वि.) जि.परि. भीलवाडा	11	110000.00	10000.00	120000.00
8	उप निदेशक कृषि (वि.) जि.परि. बीकानेर	6	60000.00	10000.00	70000.00
9	उप निदेशक कृषि (वि.) जि.परि. बूंदी	5	50000.00	10000.00	60000.00
10	उप निदेशक कृषि (वि.) जि.परि. चित्तौडगढ़	11	110000.00	10000.00	120000.00
11	उप निदेशक कृषि (वि.) जि.परि. चुरु	6	60000.00	10000.00	70000.00
12	उप निदेशक कृषि (वि.) जि.परि. दौसा	5	50000.00	10000.00	60000.00
13	उप निदेशक कृषि (वि.) जि.परि. धौलपुर	4	40000.00	10000.00	50000.00
14	उप निदेशक कृषि (वि.) जि.परि. डूंगरपुर	5	50000.00	10000.00	60000.00
15	उप निदेशक कृषि (वि.) जि.परि. गंगानगर	8	80000.00	10000.00	90000.00
16	उप निदेशक कृषि (वि.) जि.परि. हनुमानगढ़	7	70000.00	10000.00	80000.00
17	उप निदेशक कृषि (वि.) जि.परि. जयपुर	13	130000.00	10000.00	140000.00
18	उप निदेशक कृषि (वि.) जि.परि. जैसलमेर	3	30000.00	10000.00	40000.00
19	उप निदेशक कृषि (वि.) जि.परि. जालौर	8	80000.00	10000.00	90000.00
20	उप निदेशक कृषि (वि.) जि.परि. झालावाड	6	60000.00	10000.00	70000.00
21	उप निदेशक कृषि (वि.) जि.परि. झुन्झुनू	8	80000.00	10000.00	90000.00
22	उप निदेशक कृषि (वि.) जि.परि. जोधपुर	10	100000.00	10000.00	110000.00
23	उप निदेशक कृषि (वि.) जि.परि. करौली	5	50000.00	10000.00	60000.00
24	उप निदेशक कृषि (वि.) जि.परि. कोटा	5	50000.00	10000.00	60000.00
25	उप निदेशक कृषि (वि.) जि.परि. नागौर	11	110000.00	10000.00	120000.00
26	उप निदेशक कृषि (वि.) जि.परि. पाली	10	100000.00	10000.00	110000.00

27	उप निदेशक कृषि (वि) जि.परि. प्रतापगढ़	5	50000.00	10000.00	60000.00
28	उप निदेशक कृषि (वि) जि.परि. राजसमंद	7	70000.00	10000.00	80000.00
29	उप निदेशक कृषि (वि) जि.प सवाईमाधोपुर	5	50000.00	10000.00	60000.00
30	उप निदेशक कृषि (वि) जि.परि. सीकर	8	80000.00	10000.00	90000.00
31	उप निदेशक कृषि (वि) जि.परि. सिरोही	5	50000.00	10000.00	60000.00
32	उप निदेशक कृषि (वि) जि.परि. टोंक	6	60000.00	10000.00	70000.00
33	उप निदेशक कृषि (वि) जि.परि. उदयपुर	12	120000.00	10000.00	130000.00
	<b>TOTAL</b>	<b>249</b>	<b>2490000.00</b>	<b>330000.00</b>	<b>2820000.00</b>

उक्त राशि का भुगतान निम्न बजट मद प्रभार्य होगा—

2401—फसल कृषि कर्म

109—विस्तार एवं कृषकों को प्रशिक्षण

(16)—राष्ट्रीय कृषि विस्तार एवं तकनीकी मिशन

[05]—कृषि में ई—गर्वनेंस योजना

05—कार्यालय व्यय

पंचायत समिति पर डाटा सेन्टर की स्थापना के लिये चयनित पंचायत समिति की सूची मय कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम व मोबाइल न0 सात दिवस मे कृषि आयुक्तालय को भिजवाना सुनिश्चित करावे।

संलग्न— सामान्य दिशा—निर्देश


(डॉ. नीरज कुमार पवन)

आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव  
कृषि, राजस्थान

क्रमांक:—एफ36(77)आ0कृ0 / NeGP-A/SP / 2015-16 / 2067-72 दिनांक:— 12/2/16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार, राजस्थान जयपुर।
2. वित्तिय सलाहकार कृषि, मुख्यालय जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक कृषि,(योजना) मुख्यालय जयपुर को बजट आंवटन हेतु।
4. समस्त संयुक्त निदेशक कृषि, (विस्तार) खण्ड
5. समस्त उप निदेशक कृषि, (विस्तार) जिला परिषद्।
6. आरक्षित पत्रावली।

  
अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार)  
राजस्थान, जयपुर




जिला एवं पंचायत समिति स्तर पर डाटा सेन्टर की Site preparation हेतु सामान्य दिशा-निर्देश-

1. पंचायत समिति पर डाटा सेन्टर की स्थापना के लिये Site preparation से पूर्व मूलभूत सुविधा यथा भवन बिजली, पानी, सूरक्षा आदि का ध्यान रखा जावे।
2. Site preparation का कार्य समस्त सम्बद्ध विभाग (उद्यान, पशुपालन, मतस्य आदि) से समन्वय कर कराया जावे।
3. डाटा सेन्टर पर Site preparation हेतु आवश्यक नेटवर्क स्विच कय बिजली संबंधी कार्य (Cabling, Electric Switches, Electric Sockets) एवं विविध आदि पर व्यय किया जा सकता है।

Item	Quantity (District)	Quantity (Block)
Power Point (250V, 5-15Amp)	10	06
IO Switch	10	06
LAN, Cable and Casing	As Required	As Required

4. डाटा सेन्टर पर Site preparation हेतु सामग्री व कार्य उच्च गुणवत्ता की होनी चाहिये।
5. प्रत्येक जिले एवं पंचायत समिति पर डाटा सेन्टर की स्थापना के लिये Site preparation हेतु उपरोक्तानुसार अधिकतम रु 10000.00 व्यय का प्रावधान है।
6. स्वीकृत राशि का व्यय सामान्य वित्तिय एवं लेखा नियमों की पालना करते हुए किया जावे एवं Site preparation के लिये स्वीकृत कार्य एवं सामग्री का कय RTPP Act 2012 and Rules 2013 के प्रावधानो के अनुसार किया जाना सुनिश्चित करावें।

  
अतिरिक्त निदेशक कृषि (विस्तार)  
राजस्थान, जयपुर